

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन
पीठारिनी अधिकारी-श्री सीताराम जाट, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-(6)...../2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023 /7.2.....

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तेजपालसिंह राठौड़ पुत्र देवीसिंह कलक्टर विजनेस मैनेजर (अधिकृत अधिकारी), एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर	बनाम 1. रमन इंजीनियरिंग, वार्ड नम्बर 21, कुम्हारो का वास, लाडनू जिला- डीडवाना-कुचामन 2. परमानन्द जांगिड़ पुत्र जगदीश प्रसाद, कुम्हारो का वास, लाडनू तहसील लाडनू, जिला- डीडवाना-कुचामन दूसरा पता- सम्पति जो नगरपालिका लाडनू में वार्ड संख्या 21 पुराना वार्ड संख्या 28 नया पॉवर हाउस के पास, लाडनू तहसील लाडनू जिला- डीडवाना-कुचामन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत ऋण की बंधक सम्पत्ति का कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने के संबंध में।

आदेश

दिनांक: 02/11/2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ऋणी को रुपये 24,00,000/- (अक्षरे चौबीस लाख रुपये मात्र) व 4,66,000/- (अक्षरे चार लाख छियासठ हजार मात्र) दिनांक 30.06.2019 को ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पति- वार्ड नम्बर 21 पुराना वार्ड संख्या 28 नया पॉवर हाउस के पास, लाडनू तहसील लाडनू जिला- डीडवाना-कुचामन कुल 173.33 वर्गगज तथा जायगा व उसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग हैं, जो परमानन्द जांगिड़ एवं स्वर्गीय जगदीश द्वारा धारित हैं जिसके उत्तर में सीताराम प्रजापत दक्षिण में शिवधन पुत्र नेगीचंद जांगिड़ पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में पवन शर्मा की भूमि स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 03.03.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में रुपये 21,74,447.00/- (अक्षरे इक्कीस लाख चौहतर हजार चार सौ सैतालिस रुपये मात्र) दिनांक 09.03.2023 तक शेष देय व दिनांक 10.03.2023 से आगे का

जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन



ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान व रूपये 4,64,078.00/- (अक्षरे चार लाख चौसठ हजार अठहतर रूपये मात्र) दिनांक 08.03.2023 तक शेष देय व दिनांक 09.03.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 14.03.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रूपये 21,74,447.00/- (अक्षरे इक्कीस लाख चौहतर हजार चार सौ सैतालिस रूपये मात्र) दिनांक 09.03.2023 तक शेष देय व दिनांक 10.03.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान व रूपये 4,64,078.00/- (अक्षरे चार लाख चौसठ हजार अठहतर रूपये मात्र) दिनांक 08.03.2023 तक शेष देय व दिनांक 09.03.2023 से आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।


एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्वोरिटीज एवं सिक्वोरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्वोरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- वार्ड नम्बर 21 पुराना वार्ड संख्या 28 नया पॉवर हाउस के पास, लाडनूं तहसील लाडनूं जिला- डीडवाना-कुचामन कुल 173.33 वर्गगज तथा जायगा व उसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो परमानन्द जांगिड़ एवं स्वर्गीय जगदीश द्वारा धारित हैं जिसके उत्तर में सीताराम प्रजापत दक्षिण में शिवधन पुत्र नेमीचंद जांगिड़ पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में पवन शर्मा की भूमि स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से रूपये 24,00,000/- (अक्षरे चौबीस लाख मात्र) व 4,66,000/- (अक्षरे चार लाख छियासठ हजार मात्र) दिनांक 30.06.2019 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्तिक के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्तिक या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क)


जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन

उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिया सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इगदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक डीडवाना-कुचामन को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- वार्ड नम्बर 21 पुराना वार्ड संख्या 28 नया पॉवर हाउस के पास, लाडनूं तहसील लाडनूं जिला- डीडवाना-कुचामन कुल 173.33 वर्गगज तथा जायगा व उसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं, जो परमानन्द जांगिड़ एवं स्वर्गीय जगदीश द्वारा धारित हैं जिसके उत्तर में सीताराम प्रजापत दक्षिण में शिवधन पुत्र नेमीचंद जांगिड़ पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में पवन शर्मा की भूमि स्थित है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करें कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(सीताराम जांगिड़, IAS)
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना-कुचामन